वित्तीय स्वीकृति

संख्या-69/2016/3007/52-3-16-बजट(06)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□□,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र सं0-3346/□0□0□0□□0-52/□□□/□□□- प्रा0वि0/2016-17 दिनांक 21.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □ □□□□त्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 21,17,31,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 10,58,65,000/- की धनराशि शासनादेश सं0-1112/52-3-16-□□□(6)/2016, दिनांक 07.04.2016 द्वारा कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है तथा रू0 10,58,66,000/- की धनराशि अवशेष है।

2. प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये योजनान्तर्गत आय व्ययक में अवशेष धनराशि रू0 10,58,66,000/- □□ सापेक्ष रू0 08,00,00,000/- (रू0 आठ करोड़ म) स्वीकृत करते हुये निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि को किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र □□□□ □□ 30.03.2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-800-अन्य व्य - आयोजनेत्तर-03-मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना -20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□) □□□□□□□□□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-ई0-11-1763/□□-16, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-3007(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in